

नगरीय निकाय निदेशालय
"OM&M Cell"(संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन प्रकोष्ठ)
प्लॉट नं०-18, सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार योजना, लखनऊ।

पत्र संख्या- 32 / 02 / OM&M / 2020-21

दिनांक : 26 जून, 2020

नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-504/नौ-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 12.06.2020 का कार्यवृत्त।

विषय:-उत्तर प्रदेश में स्थापित एस0टी0पी0 व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य। (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone)

संदर्भ:- 1. नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश सं०-503/नौ-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020
2. नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश सं०-504/नौ-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020

नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-504/नौ-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020 द्वारा गठित समिति निम्नानुसार है:-

1	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष
2	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ	सदस्य
3	निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
4	श्री आर.के. चौधरी, मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश	सदस्य-सचिव
5	सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
6	उप/सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य

प्रमुख सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में उक्त समिति की बैठक दिनांक 12.06.2020 को आहूत की गयी। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यो/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि तथा अन्य द्वारा प्रतिभाग किया गया। (उपस्थिति पंजिका/संलग्नक-1)

2. बैठक में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया (संलग्नक-2) एवं वांछित निर्णय लिये गये।

3. मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि०, द्वारा अनुबंध सं०-09/SGRCA/2017-18/(OM&M)/Package 4, Lucknow Zone के अन्तर्गत दिनांक 01.11.2019 से लखनऊ शहर के 3 एस.टी.पी., 30 सीवेज पम्पिंग स्टेशन एवं लगभग 2140 कि.मी. सीवर नेटवर्क के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन का कार्य प्रारम्भ किया गया। मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि० द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं एवं कार्य का प्रस्तुतिकरण किया गया। यह अवगत कराया गया है कि नगरिया नाला के ओवर फ्लो को रोकने हेतु लगभग 25 मीटर चैनल कन्स्ट्रक्शन का कार्य प्रगति पर है तथा एक सप्ताह के अंदर पूर्ण हो जायेगा। महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि अनुबन्ध के सेक्शन-2, क्लॉज 2.8 के तहत मेजर रिप्लेसमेंट फण्ड के सापेक्ष, कुकरैल पम्पिंग स्टेशन के 6 पम्प में से 3 नये पम्प लगाये जाये एवं 3 पुराने पम्पों को मरम्मत कराते हुये कुकरैल पम्पिंग स्टेशन संचालित किया जाये। (कार्यवाही-महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ/ मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि०)

4. मेसर्स बी0ए0टेक वाबाग लिमिटेड द्वारा अनुबन्ध सं0-09/SGRCA/2017-18/(OM&M)/Package 6, Agra Zone के अन्तर्गत दिनांक 16.12.2019 से आगरा शहर के लिए 7 एस.टी.पी., 28 सीवेज पम्पिंग स्टेशन एवं लगभग 910 कि.मी. सीवर नेटवर्क के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन का कार्य प्रारम्भ किया गया जिसके संबंध में परियोजना प्रबंधक, मेसर्स बी0ए0 टेक वाबाग लिमिटेड, आगरा द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं तथा कार्य के संबंध में प्रेजेन्टेशन दिया गया तथा अवगत कराया गया कि एक नया सुपर सकर सीवर नेटवर्क क्लीनिंग कार्य हेतु लगाया गया है। मुख्य अभियन्ता, ओएमएण्डएम सेल, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा अवगत कराया कि 40 एम0एल0डी0 बीचपुरी एस0टी0पी0 दिनांक 01.04.2020 से 05.04.2020 तक संचालित नहीं किया गया है। मेसर्स बी0ए0टेक वाबाग लिमिटेड, आगरा द्वारा पूर्ण सीवररेज सिस्टम एवं नेटवर्क के सुधार की आवश्यकता है। (कार्यवाही-महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, आगरा/ महाप्रबन्धक जलकल विभाग, आगरा /मेसर्स बी0ए0टेक वाबाग लिमिटेड)
5. मेसर्स बी0ए0टेक वाबाग लिमिटेड द्वारा अनुबन्ध सं0-09/SGRCA/2017-18/(OM&M)/Package 8, Ghaziabad Zone के अन्तर्गत दिनांक 16.12.2019 से गाजियाबाद जोन के 15 एस.टी.पी. में से 14 एस.टी.पी. 44 पम्पिंग स्टेशन एवं 2795 कि.मी. सीवर नेटवर्क के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन का कार्य प्रारम्भ किया गया। परियोजना प्रबंधक, मेसर्स बी0ए0 टेक वाबाग लिमिटेड, गाजियाबाद द्वारा प्रेजेन्टेशन दिया गया। यह अवगत कराया गया कि मुजफ्फरनगर में सीवर नेटवर्क के कार्य के सत्यापन के संबंध में विलम्ब होता है। जल निगम द्वारा पेनल्टी/एल0डी0 प्रस्तावित की गयी है जबकि अनुबन्ध के तहत 6 माह का सिस्टम इम्प्रूमेंट करने का समय दिया गया है। परियोजना प्रबंधक, मेसर्स बी0ए0 टेक वाबाग लिमिटेड ने प्रस्तावित पेनल्टी/एल0डी0 को रिव्यू करते हुये समाप्त करने का अनुरोध किया गया। यह निर्देश दिये गये कि प्रस्तावित की गयी पेनल्टी/एल0डी0 को जल निगम द्वारा पुनः अनुबन्ध की शर्तों के तहत रिव्यू किया जाये। मेसर्स बी0ए0टेक वाबाग लिमिटेड द्वारा गाजियाबाद जोन के पूर्ण सीवररेज सिस्टम एवं नेटवर्क में सुधार की आवश्यकता है। (कार्यवाही-समस्त महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम/महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, गाजियाबाद (गाजियाबाद जोन)/ मेसर्स बी0ए0टेक वाबाग लिमिटेड)
6. मेसर्स तोसिबा वाटर साल्यूशन्स लिमिटेड द्वारा अनुबन्ध सं0-09/SGRCA/2017-18/(OM&M)/Package 5, Gorakhpur Zone के अन्तर्गत दिनांक 28.12.2019 से गोरखपुर, अयोध्या एवं सुल्तानपुर शहर के लिए 4 एस. टी.पी., का संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन का कार्य प्रारम्भ किया गया जिसके संबंध में परियोजना मेसर्स तोसिबा वाटर साल्यूशन्स लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा प्रेजेन्टेशन दिया गया। यह अवगत कराया गया कि सुल्तानपुर एस0टी0पी0 परिसर में नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत एस0टी0पी0 हेतु 3 ऑक्सीडेशन पाण्ड की भूमि संबंधित कान्ट्रेक्टर को हस्तान्तरित कर दी गयी है। वर्तमान में 4 ऑक्सीडेशन पाण्ड का संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन का कार्य किया जा रहा है। इफ्लूएन्ट के निस्तारण हेतु नये चैनल का निर्माण किया जा रहा है। मेसर्स तोसिबा वाटर साल्यूशन्स लिमिटेड एवं जल निगम/जलकल विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि फर्म द्वारा अनुरक्षण कार्य में शिथिलता बरती जा रही है। प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा निर्देश दिए गये कि मेसर्स तोसिबा वाटर साल्यूशन्स लिमिटेड को आवश्यक सुधार हेतु पत्र जारी किया जाये एवं संबंधित महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम द्वारा कार्यों का सप्ताहिक रिव्यू किया जाय। (कार्यवाही- मुख्य अभियन्ता ओएमएण्डएस सेल नगरीय निकाय निदेशालय/महाप्रबन्धक, अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर, अयोध्या एवं सुल्तानपुर/ महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, गोरखपुर, अयोध्या एवं सुल्तानपुर/ मेसर्स बी0ए0टेक वाबाग लिमिटेड)
7. उ0प्र0 जल निगम द्वारा शासनादेश में निहित प्राविधान एवं अनुबंध की शर्तों के अनुसार उ0प्र0 जल निगम को मासिक प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का 10 प्रतिशत सेन्टेज/सुपरवीजन चार्जस भुगतान करने का अनुरोध किया गया।

8. समिति की संस्तुति/निर्णय :-

उपरोक्तानुसार उ०प्र० जल निगम द्वारा पैकेज-4, लखनऊ जोन के माह अप्रैल 2020, पैकेज-6 आगरा जोन के माह अप्रैल 2020, पैकेज-8 गाजियाबाद जोन के माह फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 एवं पैकेज-5 गोरखपुर जोन के माह दिसम्बर 2019, जनवरी, फरवरी, मार्च एवं अप्रैल 2020 तक के प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल एवं फर्म की Laboratory की प्रत्येक दिन की टेस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एक्रिएटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्पल के टेस्ट रिपोर्ट एवं फर्म द्वारा दिये गये प्रगति रिपोर्ट के आधार पर निम्नानुसार धनराशि उ०प्र० जल निगम को शासन/निदेशालय से अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी।

(ii) उ०प्र० जल निगम को पैकेज-4, लखनऊ जोन (मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि०), के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (संलग्नक-3)

(अ) उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित धनराशि-

क्र०सं०	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल की धनराशि, (रुपये में)
1	6 th Payment Certificate/ Bill- April 2020	रु० 72402236 (फर्म को भुगतान रु० 64584800 + जीएसटी रु० 7750176 + डीजल रु० 67260)
2	3 rd Payment Certificate/ Bill- January 2020 (Balance Amount)	रु० 3707090 (भुगतान हेतु कुल धनराशि रु० 77346480-भुगतान की गयी धनराशि रु० 73639390)

(ब) समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार संस्तुति की गयी धनराशि-

क्र.सं.	विवरण	6 th Payment Certificate/ Bill- April 2020	3 rd Payment Certificate/ Bill- January 2020 (Balance Amount)
1.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	रु० 64455497	रु० 63294116
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	रु० 7734660	रु० 7595294
3.	फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	रु० 67260	रु० 127658
4.	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज/ सुपरवीजन चार्जस (10 प्रतिशत)	रु० 6445550	रु० 6329412
5.	कुल धनराशि (1+2+3+4)	रु० 78702967	रु० 77346480 (Paid amount Rs. 73639390 and Balance to be paid Rs. 3707090) (संलग्नक-4)
6	उ०प्र० जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	82410057/-	

महाप्रबन्धक, गो0प्र0नि0इकाई, लखनऊ द्वारा अपने स्तर पर रू0 1 करोड़ withheld किया गया है पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल में अंकित Observations की Compliance पूर्ण कराकर अनुबन्ध की शर्तों के तहत समय से Withheld धनराशि महाप्रबन्धक, गो0प्र0नि0इकाई, लखनऊ द्वारा मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा0लि0 को Release किया जायेगा।

- (ii) (क) उ0प्र0 जल निगम द्वारा पैकेज-6, आगरा जोन (मेसर्स वी0ए0 टेक वाबाग लिमिटेड), के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (संलग्नक-5)

(अ) उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित धनराशि-

क्र0सं0	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल की धनराशि, (रूपये में)
1	5 th Payment Certificate/ Bill- April, 2020	रू0 38093218 (फर्म को भुगतान रू0 33965404 + जीएसटी रू0 4075848 + Diesel हेतु Rs. 51966)

(ब) समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार संस्तुति की गयी धनराशि-

क्र.सं.	विवरण	5 th Payment Certificate/ Bill- April 2020
1.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	रू0 33414404
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	रू0 4009728
3.	फ्यूल चार्ज (As per actual Certified by UPJN)	रू0 51966
4.	उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्टेज/सुपरवीजन चार्ज (10 प्रतिशत)	रू0 3341440
5.	कुल धनराशि (1+2+3+4)	रू0 40817538
6	उ0प्र0 जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	रू0 40817538

- (iii) उ0प्र0 जल निगम द्वारा पैकेज-8, गाजियाबाद जोन (गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, लोनी, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बिजनौर, पिलखुआ, अनूपशहर) (मेसर्स वी0ए0 टेक वाबाग लिमिटेड), के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (संलग्नक-6)

(अ) उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित धनराशि-

क्र0सं0	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल की धनराशि, (रूपये में)
1	3 rd Payment Certificate/ Bill- February, 2020	रू0 52731583.06 (फर्म को भुगतान रू0 46681082.20 + जीएसटी रू0 5601729.86 + Diesel हेतु Rs. 448771)
2	4 th Payment Certificate/ Bill- March, 2020	रू0 62567520.25 (फर्म को भुगतान रू0 55657111.83 + जीएसटी रू0 6678853.42) + Diesel हेतु Rs. 231555)
3	5 th Payment Certificate/ Bill- April, 2020	रू0 62567520.25 (फर्म को भुगतान रू0 55657111.83 + जीएसटी रू0 6678853.42) + Diesel हेतु Rs. 231555)

(ब) समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार संस्तुति की गयी धनराशि-

क्र.स.	विवरण	3 rd Payment Certificate/ Bill- February, 2020	4 th Payment Certificate/ Bill- March, 2020	5 th Payment Certificate/ Bill- April, 2020 (75 % Adhoc Payment)
1.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	39733782	49189656	41742833
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	4768054	5902759	5009140
3.	फ्यूल चार्ज (As per actual Certified by UPJN)	448771	231555	332277
4.	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज/ सुपरवीजन चार्ज (10 प्रतिशत)	3973378	4918966	4174283
5.	कुल धनराशि (1+2+3+4)	48923985	60242936	51258533
6.	उ०प्र० जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	160425454 (48923985+60242936+51258533)		
7.	निदेशालय द्वारा पूर्व में उ०प्र० जल निगम को 1 st & 2 nd Payment Certificate/ Bill- December & January 2020 हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि (संलग्नक-7)	30154028		
8.	उ०प्र० जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि (6-7)	130271426		

महाप्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, गाजियाबाद के पत्र संख्या-792/वन सिटी वन आपरेटर/93 दिनांक 09.06.2020 द्वारा 5th Payment Certificate/ Bill- April 2020 निदेशालय में प्रेषित किया गया। उ०प्र० जल निगम के अनुरोध पर पैकेज-8, गाजियाबाद जोन के 5th Payment Certificate/ Bill- April 2020 को बैठक में शामिल किया गया। अनुबन्ध के सेक्शन-VI, Clause 6.6 में निहित प्राविधान के अनुसार Adhoc 75 % Adhoc Payment Consider किया गया। महाप्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद द्वारा प्रस्तुत पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल में Penalty/Liquidity Damage प्रस्तावित की गयी है। जिन्हें अनुबन्ध के शर्तों के अनुसार Penalty/Liquidity damage के प्राविधान, Minimum & Maximum Limit के अनुसार पुनः अपने स्तर पर Review करते हुये अपनी स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति प्रेषित करें।

(iv) उ०प्र० जल निगम द्वारा पैकेज-8, गोरखपुर जोन (गोरखपुर, आयोध्या एवं सुल्तानपुर) (मेसर्स तोसिबा वाटर सल्यूशन्स लिमिटेड) के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (संलग्नक-8)

(अ) उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित धनराशि-

क्र०सं०	पेमेंट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित पेमेंट सर्टिफिकेट/बिल की धनराशि, (रुपये में)		
		गोरखपुर	अयोध्या	सुल्तानपुर
1	1 st Payment Certificate/ Bill- December, 2019 (29-12-2019 से 31-12-2019)	873292 / - (फर्म को भुगतान 779725 + जीएसटी रू० 93567)	211598 (फर्म को भुगतान 188927 + जीएसटी रू० 22671)	58220 / - (जीएसटी सहित)
2	2 nd Payment Certificate/ Bill- January, 2020	9048710 / - (फर्म को भुगतान 8075157 + जीएसटी रू० 966858 + डीजल रू० 6695)	2193388 (फर्म को भुगतान 1952271 + जीएसटी रू० 234273 + डीजल रू० 6844)	601601 / - (जीएसटी सहित)
3	3 rd Payment Certificate/ Bill- February 2020	9050008 / - (फर्म को भुगतान 8057157 + जीएसटी रू० 966859 + डीजल रू० 25992)	2193052 (फर्म को भुगतान 1952271 + जीएसटी रू० 234273 + डीजल रू० 6,508)	601601 / - (जीएसटी सहित)
4	4 th Payment Certificate/ Bill- March 2020	9133035 / - (फर्म को भुगतान 8057157 + जीएसटी रू० 966859 + डीजल रू० 109019)	2412715 (फर्म को भुगतान 2148577 + जीएसटी रू० 257829 + डीजल रू० 6309)	58220 / - (जीएसटी सहित)
5	5 th Payment Certificate/ Bill- April 2020	9024016 / - (फर्म को भुगतान 8057157 + जीएसटी रू० 966859)	2406406 (फर्म को भुगतान 2148577 + जीएसटी रू० 257829)	Not submitted

(ब) समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार संस्तुति की गयी धनराशि-

क्र. सं.	विवरण	1 st Payment Certificate/ Bill- December, 2019 (29-12-2019 से 31-12-2019)	2 nd Payment Certificate/ Bill- January, 2020	3 rd Payment Certificate/ Bill- February 2020	4 th Payment Certificate/ Bill- March 2020	5 th Payment Certificate/ Bill- April 2020
1.	पेमेंट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	558920	5775499	5775499	5775499	5238355
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	67070	693060	693060	693060	628603
3.	फ्यूल चार्ज (As per actual Certified by UPJN)	0	0	0	0	0
4.	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज/सुपरवीजन चार्ज (10 प्रतिशत)	55892	577550	577550	577550	523836
5.	कुल धनराशि (1+2+3+4)	681882	7046109	7046109	7046109	6390794
6.	उ०प्र० जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि	28211003 (681882+7046109+7046109+7046109+6390794)				

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा पेमेन्ट सर्टीफिकेट / बिल के साथ Treated effluent की प्रमाणित लैब रिपोर्ट, डी पार्टी टेस्ट रिपोर्ट एवं उत्तर प्रदेश पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड की टेस्ट रिपोर्ट संलग्न नहीं की गयी है। पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड की कुछ टेस्ट रिपोर्ट संज्ञान में लाई गयी है। अतः अनुबन्ध के सेक्शन-IV, क्लॉज 39 के अनुसार, Monthly Contract Value की Fixed Cost i.e 80 % धनराशि अवमुक्त किया गया है तथा Monthly Contract Value की Variable Cast i.e. 40% धनराशि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने के उपरान्त निर्णय लिया जायेगा। जलकल विभाग द्वारा सीवर नेटवर्क से संबंधित कार्य का सत्यापन की रिपोर्ट पेमेन्ट सर्टीफिकेट / बिल के साथ संलग्न नहीं होने के कारण सीवर नेटवर्क अनुरक्षण की राशि को Withheld किया गया है।

(v) Contractor द्वारा अनुबन्ध के Section-IV, Conditions of Contract and Contract Data के Clause 54 : Force Majeure (Non Political Event) के तहत कोविट-19 की लॉक डाउन को रिपोर्ट करते हुये 19 फरवरी, 2020 से Due Course में Claim की सूचना दी गयी है। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि संबंधित महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम अपनी आख्या एवं संस्तुति प्रस्तुत करें। प्रथम लाकडाउन दिनांक 25.03.2020 से चतुर्थ लाकडाउन दिनांक 31.05.2020 तक का समय Force Majeure (Non Political Event) के तहत विचार किया जा सकता है।


(vi) प्रमुख सचिव, नगर विकास/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही निम्नानुसार है।

1. प्रबन्धक निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone के 29 एस०टी०पी० एवं इससे जुड़े सीवरेंज पम्पिंग स्टेशन पर होने वाले विद्युत व्यय के भुगतान के प्रक्रिया संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि उक्त शहरों के ओ०एमएण्डएम कार्य प्रारम्भ होने की तिथि के उपरान्त के समस्त भुगतान नगरीय निकाय निदेशालय से अवमुक्त किया जाना उचित होगा। उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा विद्युत बिलों का सत्यापन किया जायेगा।

इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या-849/नौ-9-19-89ज/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2019 एवं शासनादेश संख्या-892/नौ-9-20-89ज/2001 दिनांक 22 मई, 2020 में एस०टी०पी० एवं इससे जुड़े सीवरेंज पम्पिंग स्टेशन पर होने वाले विद्युत व्यय के संबंध में बजट की व्यवस्था नहीं है। अतः 29 एस०टी०पी० एवं इससे जुड़े सीवरेंज पम्पिंग स्टेशन पर होने वाले प्रति माह अनुमानित विद्युत व्यय के संबंध में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा प्रस्ताव नगरीय निकाय निदेशालय को प्रस्तुत किया जायेगा जिसके आधार पर बजट व्यवस्था हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।


उपरोक्तानुसार पैरा (i), (ii), (iii) एवं पैरा- (iv) में उल्लेखित कुल धनराशि रू0 281642763 / - (रू0 82342796+ रू0 40817538 + रू0 130271426 + रू0 28211003) उत्तर प्रदेश जल निगम को अवमुक्त की जानी है। उ0प्र0 जल निगम द्वारा अनुबन्ध की शर्तों एवं इस संबंध में जारी शासनादेश के दिशानिर्देशों का पालन किया जायेगा।

शासनादेश संख्या-849/नौ-9-19-89ज/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2019 एवं शासनादेश संख्या-892/नौ-9-20-89ज/2001 दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा रू0 250 करोड़ प्रतिवर्ष एस.टी.पी. के संचालन, अनुस्क्षण एवं प्रबंधन की व्यवस्था की गयी है जिसके सापेक्ष उ0प्र0 जल निगम को उक्त धनराशि रू0 281642763 / - (अठ्ठाईस करोड़ सोलह लाख बयालिस हजार सात सौ तिरसठ मात्र) अवमुक्त की जानी है। यह कार्यवृत्त समक्ष प्रधिकारी के अनुमोदन दिनांक 25.06.2020 के क्रम में जारी किया गया है।


(डा0 काजल)
निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
2. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
3. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0एण्डएम0 सेल, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
5. सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त संबंधित, उ0प्र0 जल निगम/जलकल विभाग/ओ0एम0एण्डएम0 फर्म।


25-6-20
(आर0के0 चौधरी)
मुख्य अभियन्ता,
नगरीय निकाय निदेशालय
OK